Ex.D-10

कथन – जितेन्द्र निगम

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	जितेन्द्र निगम पिता स्व. श्याम सुन्दर लालजी निगम
उम्र	–	60 वर्ष
वर्तमान पता	–	जी.एस.उपाध्याय जी का मकान, नेताजी चौक, बाजार पारा, मकान नं. 266 जांजगीर चांपा (छ0ग0)
स्थाई पता	–	श्रीमती सरला देवी कॉप्लेक्स, बलदेव बाग, बी ब्लॉक, राजनांदगांव (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	(शासकीय) 88179–03601, (निजी) 94241–46542
व्यवसाय	–	प्रभारी जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, जांजगीर चांपा (छ0ग0)

——00——

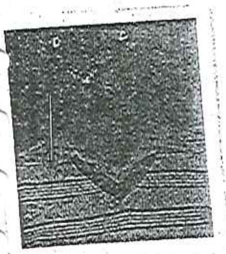

मैं जितेन्द्र निगम वर्तमान में प्रभारी जिला प्रबंधक, जांजगीर चांपा में अगस्त 2014 से पदस्थ हूं। इसके पूर्व इसी पद पर मैं राजनांदगांव में पदस्थ था। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03601 है तथा पर्सनल मोबाईल नंबर 94241–46542 है, यह मेरे नाम से ही है।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03601 से **श्री एस0एस0 भट्ट,** मैनेजर, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर से उनके शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03500 पर हुई बातों का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 13.12.2014 के 16:11:03 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 13.12.2014 के 16:12:33 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से **श्री एस0एस0 भट्ट** से उनके शासकीय मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में श्री भट्ट साहब ने मुझसे पूछा था कि जिला प्रबंधक, धमतरी को चावल का रेक अकलतरा न भेजने के लिये पत्र भेज दिये हो क्या? तब मेरे द्वारा उन्हें बताया गया था कि जिला प्रबंधक, धमतरी को पत्र भेजकर उसकी प्रतिलिपि फुड ऑफिसर धमतरी और जांजगीर चांपा को भेज दिया हूं, बताया था। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि अभी मैं राजनांदगांव में हूं, जांजगीर के राईस मिलर्स से अभी कलेक्शन का पैसा नहीं आया है, जब कलेक्शन हो जायेगा तो संतोष (हमारे राजनांदगांव का सविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर) के हाथों भिजवा दुंगा। भट्ट साहब के निर्देशानुसार राईस मिलर्स से 05रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से उनके द्वारा जमा कराये

गये चावल के एवज में पैसे इकट्ठे करते थे और मैं राईस मिलर्स से कलेक्ट किये हुए पैसो को भट्ट साहब के पास भिजवा देता था। उक्त वार्तालाप में मैंने इसी संबंध में उन्हें बताया गया था कि अभी कलेक्शन नहीं हुआ हैं।

दिनांक 25.01.2015 के 19:48:08 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 25.01.2015 के 19:50:50 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर पर **श्री एस0एस0 भट्ट** से उनके शासकीय मोबाईल नंबर से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा श्री भट्ट से पूछा गया था कि राईस मिलर्स से कलेक्शन का पैसा किसे देना है। तब भट्ट साहब ने बताया था कि कल दोपहर 12 बजे के बाद मुख्यालय का अरविन्द ध्रुव आयेगा तो उसे दे देना और अरविन्द ध्रुव का शासकीय मोबाईल नंबर 88179—03346 पर बात करने के लिये बोले थे। इसके बाद मैंने दिनांक 26.01.2015 को संतोष के हाथों लगभग 03—04 लाख रूपये (निश्चित राशि याद नहीं) अरविन्द को भिजवाया था।

दिनांक 28.01.2015 के 13:09:54 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 28.01.2015 के 13:10:46 बजे का कॉल मेरे शासकीय मोबाईल नंबर से **श्री एस0एस0 भट्ट** से उनके शासकीय मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा श्री भट्ट से पूछा गया था कि अरविन्द को जो दिनांक 26.01.2015 को भिजवाया था, आपको मिल गया है या नहीं, इस पर भट्ट साहब ने बताया था कि पैसे उन्हें मिल गये है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ